इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 8 अंक सं. :1 सितम्बर 2015 पृष्ठों की सं 20

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मौद्रिक नीति ---------- 1
मुख्य घटनाएं ---------- 2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------3
बैंकिंग जगत की घटनाएं---------- 4
विनियामकों के कथन ---------- -7
अर्थव्यवस्था / बीमा ----------10
नयी नियुक्तिया ---------- 11
विदेशी मुद्रा ----------12
उत्पाद एवं गठजोड ---------- 13
शब्दावली / वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ---------- ---- 14
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां----------14
संस्थान समाचार----------15
बाज़ार की खबरें----------18

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

3रा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य : 4 अगस्त, 2015

- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत पुनर्खरीद (repo) दर 7.25% पर अपरिवर्तित।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के 4% पर अपरिवर्तित।
- एक-दिवसीय पुनर्खरीद के तहत बैंक-वार निवल मांग एवं सावधि देयताओं के 0.25% पर चलनिधि समायोजन सुविधा की दर पर चलनिधि तथा नीलामियों के माध्यम से 14 दिवसीय मीयादी पुनर्खरीद दर और उसके साथ ही बैंकिंग प्रणाली की निवल मांग एवं सावधि देयताओं के 0.75% तक की दीर्घावधिक पुनर्खरीद दर पर चलनिधि प्रदान की जाएगी; और
- प्रतिदिन परिवर्ती दर वाली पुनर्खरीद और प्रति-पुनर्खरीद दरें चलनिधि को सह□ बनाने का क्रम जारी रखेंगी। फलत: चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत प्रति-पुनर्खरीद दर 6.25% पर अपरिवर्तित रहेगी; जबकि सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर 8.25% पर स्थिर रहेंगी।

मुख्य घटनाएं

11 भुगतान बैंकों की शुरुआत की जाएगी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान बैंकों के लाइसेंसीकरण से सम्बन्धित दिशानिर्देशों के अधीन 11 आवेदकों को भुगतान बैंकों का गठन करने हेतु "सिद्धांतत: अनुमोदन" प्रदान करने का निर्णय लिया है। प्रदान किया गया "सिद्धांतत: अनुमोदन" 18 माह की अवधि तक वैध होगा, इस समय के दौरान आवेदकों को दिशानिर्देशों के तहत अपेक्षाओं का पालन करना होगा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा-निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। इस बात के प्रति संतुष्ट हो जाने पर कि आवेदकों ने उसके द्वारा "सिद्धांतत: अनुमोदन" के एक अंग के रूप में निर्धारित आवश्यक शर्तों का पालन

किया है, भारतीय रिज़र्व बैंक उन्हें बैंकिंग व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु लाइसेंस मंजूर करने पर वि□ार करेगा।

यू.के. स्थित भारतीय बैंकों को अपेक्षाकृत कठोर नियमों का पालन करना होगा

यू.के. में परिचालन करने वाले सभी 10 भारतीय बैंकों को आगामी वर्ष से वैयक्तिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए शीघ्र ही नये नियमों का पालन करना होगा। वित्तीय आचरण प्राधिकारी (Financial Conduct Authority) और बैंक ऑफ इंग्लैंड के विवेकसंगत विनियामक प्राधिकारी ने विदेशी बैंकों की यू.के. स्थित शाखाओं के अभिशासन को बढ़ावा देने के लिए लगभग अंतिम नियम जारी किए हैं। यू.के. में स्थित विदेशी बैंक या तो शाखाओं या फिर सहायक कम्पनियों के रूप में परिचालन कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने तथा अतीत की अपेक्षा विदेशी आधातों के प्रति कमतर सुभेद्यता सुनिश्चित करने के ब्रिटिश प्रयासों के एक अंग के रूप में पिछले वर्ष शाखाओं पर पर्यवेक्षण के बढ़ते स्तर लागू किए गए थे तथा उन्हें उनकी संरचना को पूरी तरह बदलने पर विवश किया गया था।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

बैंक शहरी, कस्बाई शाखाओं का स्थल परिवर्तन, विलयन अनुमोदन के बिना कर सकते हैं : भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को ग्रामीण शाखाओं और एकमात्र कस्बाई शाखाओं को छोड़कर सभी शाखाओं को स्वयं अपने विवेक पर स्थलांतरित करने, विलयित करने तथा बंद करने की अनुमति प्रदान कर दी है। तथापि, किसी ग्रामीण शाखा या एकमात्र कस्बाई शाखा को स्थलांतरित, विलयित अथवा बंद करने के लिए जिला परामर्शदात्री समिति / जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इन कार्यकलापों को करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंकिंग आवश्यकताएं या तो अनुषंगी कार्यालयों / चल / मोबाइल यानों के माध्यम से या फिर कारबार संपर्कियों (BCs) के माध्यम से पूरी किए जाने का कार्य जारी रहे। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो शाका स्थलांतरित / विलयित / बंद की जा रही हो उसके ग्राहकों को उसके वास्तविक स्थलांतरण / विलयन / बंद किए जाने के दिन से काफी समय पहले सूचित कर दिया जाए, ताकि उन्हें असुविधा से बाचाया जा सके।

बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश :'सस्ते अल्पावधिक फसल ऋण प्रदान करें'

भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 के लिए 3 लाख रुपये तक के अल्पावधिक फसल ऋणों के लिए ब्याजगत सरकारी अनुदान योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित कर दिया है। 2% प्रति वर्ष की दर से

ब्याजगत सरकारी अनुदान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को (उनकी ग्रामीण और कस्बाई शाखाओं द्वारा दिए गए ऋणों के सम्बन्ध में) प्रति किसान 3,00,000 रुपये तक के अल्पावधिक फसल ऋणों के लिए प्रयुक्त स्वयं उनकी निधियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, बशर्ते ऋणदात्री संस्थाएं किसानों को उक्त अल्पावधिक ऋण प्रति वर्ष 7% के बुनियादी स्तर पर उपलब्ध कराएं। फसल ऋण की रकम पर इस 2% के ब्या□गत सरकारी अनुदान की गणना उसके संवितरण / आहरण की तिथि से एक वर्ष तक की अवधि की शर्त पर कृषक द्वारा फसल ऋण की वास्तविक चुकौती की तिथि तक अथवा बैंकों द्वारा निर्धारित नियत तिथि, इनमें से जो भी पहले हो, तक की जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को इस योजना का उपयुक्त प्रचार करने की सलाह दी है, ताकि किसान इस सुविधा के लाभ उठा सकें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एफसीटीआरएस विवरणियां ऑनलाइन प्रस्तुत करने में समर्थ बनाया

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत लेनदेनों की रिपोर्टिंग को आसान बनाने के कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति से भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति को या उसके विपरीत क्रम में शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, आशिक रूप से प्रदत्त शेयरों और अधिपत्रों (वारंटों) के अंतरण की रिपोर्टंग करने हेतु भारत सरकार की ई-बिज परियोजना के तत्वावधान में विदेशी मुद्रा शेयरों के अंतरण (FCTRS) विवरणी को ऑनलाइन प्रस्तुतन में समर्थ बना दिया है। उक्त रिपोर्टिंग प्लेटफार्म की डिज़ाइनिंग ग्राहक को ई-बिज पोर्टल पर लॉग ऑन करने, रिपोर्टिंग फार्म (FCTRS) को डाउनलोड करने, उसे पूरा करने तथा उसके बाद उनके डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों का उपयोग करते हुए अपलोड करने में समर्थ बनाती है। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों (ADs) के लिए यह आवश्यक होगा कि वे पूरे किए गए फार्मों को डाउनलोड करें, उपलब्ध दस्तावेज़ों से विषय-वस्तु का सत्यापन करें और यदि आवश्यक हो, तो ग्राहक से अतिरिक्त सूचना की मांग करें। उसके बाद वे उसे कार्रवाई करने तथा विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) आबंटित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए अपलोड करें। प्राधिकृत व्यापारियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (NIC) से प्राप्त आभासी (वर्चुअल) निजी नेटवर्क खाते का उपयोग करते हुए उस ई-बिज पोर्टल में अभिगम करें जो राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (NIC) सर्वरों पर होस्ट किया गया है।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

अशोध्य ऋण : भारतीय रिज़र्व बैंक ने जांच एवं रोक के उपाय तेज किए

भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों को पर्यवेक्षित करता है और यह देखने के लिए उनके पोर्टफोलियो की जांच करता है कि उन्होंने उन सभी अनर्जक आस्तियों को घोषित किया है या नहीं जिनकी उन्हें घोषणा और विचलनों की जांच करनी चाहिए। यह स्उचित स्थिति दर्शाती हैं, कई प्रकार के जांचों और नियंत्रणों का ध्यान रखना होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि यदि

पुनर्व्यवस्था की जाए तो वह जब भी की जाए गहन हो, उपयुक्त हो और यह कि परियोजनाओं को पुन: आरंभ किया जाए, बिजली और इस्पात जैसे अर्थव्यवस्था के दबावग्रस्त क्षेत्रों पर स्वयं निगरानी रखे हुए है।

अटल पेंशन योजना की व्याप्ति को अनौपचारिक क्षेत्रों के कामगारों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने उसे आशोधित किया

अटल पेंशन योजना (APY) में अभिदान को अनौपचारिक क्षेत्रों के कामगारों तक बढ़ाने तथा उक्त योजना को अधिक व्यवहार्य बनाने हेतु सरकार ने अभिदाताओं / ग्राहकों को पूर्ववर्ती केवल मासिक आधार पर अभिदान करने की बजाय मासिक, तिमाही अथवा अर्ध-वार्षिक आधार पर अभिदान करने का विकल्प प्रदान करने के लिए इस मुख्य कार्यक्रम को आशोधित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, अभिदान के भुगतान को बंद करने से सम्बन्धित प्रावधान को ग्राहक/ अभिदाता के पक्ष में पर्याप्त रूप से आशोधित कर दिया गया है। खाते को तब तक निष्क्रिय या बंद नहीं किया जाएगा जब तक खाते की शेष राशिअनुरक्षण प्रभारों एवं शुल्कों की कटौती के कारण स्वत: के अंशदानों घटाएं सरकार के सह-अंशदानों के साथ शून्य नहीं हो जाता। इसके अलावा, विलंबित भुगतान पर जुरमाने को सरल बनाकर प्रत्येक विलंबित मासिक भुगतान के लिए इसके पूर्व दिए गए विभिन्न स्तरों की बजाय 100 रुपये या उसके किसी भाग तक के अंशदान हेतु केवल 1 रुपया प्रति माह कर दिया गया है।

बुकिंग्स के रिपोर्ट कार्ड में भारत 9वें स्थान पर

भारत को 2015 की बुकिंग्स फाइनैंसियल एण्ड डिजिटल इन्क्लूजन प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वित्तीय और डिजिटल समावेशन प्रयासों में 21 देशों में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। उक्त रिपोर्ट में वित्तीय समावेशन के चार आयामों - वित्तीय समावेशन बढ़ाने में देश की प्रतिबद्धता, उसकी मोबाइल क्षमता, विनियामक वातावरण और पारंपरिक एवं डिजिटल वित्तीय सेवाओं का अंगीकरण के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और स्थान प्रदान किया जाता है। भारत का समग्र अंक 72% था। वित्तीय समावेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर उसे 100% अंक प्राप्त हुए। यह अंक उसकी डिजिटल वित्तीय सेवा के प्रति प्रतिबद्धता पर है, उसकी वित्तीय समावेशन रणनीति, प्रमात्रीकृत लक्ष्य, एक समर्पित वित्तीय समावेशन निकाय और उन सर्वेक्षणों पर आधारित है, जो वित्तीय समावेशन को मापते हैं।

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नवीयन की रूपरेखा जारी की

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 5 बैंकों के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और उसके साथ सार्वजनिक क्षेत्र के 5 गैर-कार्यपालक अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए नवीयन योजना की भी घोषणा की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों को श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के एक भाग के रूप में एक माह के भीतर 20,088 करोड़ रुपये का विशिष्ट पूंजी आबंटन किया जाने वाला है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और गैर-

कार्यपालक अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु नियुक्ति बोर्ड को प्रतिस्थापित करते हुए बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) का गठन किया जाने वाला है और वह 1ली अप्रैल, 2016 से कार्य करने लगेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के एक उपाय के रूप में अन्य बातों के साथ ही मुख्य कार्य-निष्पादक संकेतकों (KPIs) वाले एक नये ढांचे की भी घोषणा की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिशेष सरकार को अंतरित करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड ने 30 जून, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए 658.90 बिलियन रुपये की अधिशेष रकम भारत सरकार को अंतरित किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। 30 जून, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए यह रकम 526.79 बिलियन रुपये थी।

सार्वजनिक क्षेत्र के छोटे बैंकों के प्रमुखों के चयन के मानदंड घोषित

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के 5 शीर्ष बैंकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चयन की प्रक्रिया सितम्बर में आरंभ करेगी। राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यपालक निदेशक,, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के उप प्रबन्ध निदेशकं और भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के प्रबन्ध निदेशक / कार्यपालक निदेशक / उप प्रबन्ध निदेशक / प्रबन्ध निदेशक के रूप में एक वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सहयोगी बैंक की सेवाओं से पदोन्नत हुए तथा 2 वर्ष की शेष सेवा वाले लोग प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में विचार किए जाने के पात्र हैं। नियुक्ति बोर्ड द्वारा यह चयन अभ्यर्थियों के नियुक्ति बोर्ड की उप समिति के तीन पैनलों के साथ अन्योन्य क्रिया (संवाद) वाली विद्यमान कार्यप्रणाली के अनुसार किया जाएगा। दिशानिर्देशों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के महा प्रबन्धक और भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के वे मुख्य महा प्रबन्धक जो सहयोगी बैंकों की सेवा से पदोन्नत हुए हैं तथा जिन्होंने दो वर्षों की सेवा पूरी कर ली है, कार्यपालक निदेशक के पद हेतु विचार किए जाने के पात्र हैं।

मौद्रिक नीति पैनल के सम्बन्ध में सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच मतैक्य

सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच प्रस्तावित मौद्रिक नीति (MPC) और सार्वजनिक ऋण प्रबन्धन एजेन्सी PDMA) के ढांचे के सम्बन्ध में एक आम राय बन गई है। उक्त दोनों के गठन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी। मौद्रिक नीति समिति में ब्याज दरों पर निर्णय लेने के लिए वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रतिनिधियों का समावेश होगा।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की रूपरेखा

शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए भावी उपायों का सुझाव देने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गांधी की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने यह सुझाव दिया है कि 20,000 करोड रुपये

से अधिक के व्यवसाय वाले बहु-राज्यीय शहरी सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है। उक्त समिति यह भी महसूस करती है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जैसा कि वर्तमान में वह वाणिज्यिक बैंकों के मामले में लिए करता है, निदेशक मंटल का गठन करने, निदेशकों को हटाने या बोर्ड को अधिक्रमित करने, लेखा-परीक्षा करने, समापन एवं परिसमापन करने का अधिकार / की शक्ति होने / होनी चाहिए। चूंकि शहरी सहकारी बैंकों के वाणिज्यिक बैंकों में रूपांतरण के लिए सभी राज्यों के सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के कुछेक प्रावधानों में संशोधनों की आवश्यकता होगी, जो एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, समिति यह सिफारिश करती है कि केवल बहु-राज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत शहरी सहकारी बैंकों के वाणिज्यिक बैंकों में रूपांतरण पर ही विचार किया जाना चाहिए।

सरकार के सुरक्षा बंधन की शुरुआत हुई

सरकार ने उपहार चेक और विशेष जमाराशियों जैसी नवोन्मेषी योजनाओं के माध्यम से प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMIIBY) के तहत नामांकन को सुगम बनाने के लिए सुरक्षा बंधन नामक एक अभियान की शुरुआत की थी। विशेष रूप से गरीबों और अल्प-सुविधा प्राप्त लोगों को लक्ष्यांकित "सुरक्षा बंधन" अभियान का ध्येय सरकार के उस उद्देश्य को आगे बढ़ाना है जिसमें देश में एक ऐसी सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण किया जाना है जो विशेष रूप से गरीबों और अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग को लक्ष्यांकित हो। सहभागी बीमा कम्पनियों द्वारा समर्थित सहभागी बैंक इस अभियान के तहत स्थानीय लोकसंपर्क, जागरूकता निर्माण और नामांकन के सुसाध्यीकरण कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी पात्र नागरिकों से नामांकन हेतु उनकी बैंक शाखाओं से संपर्क करने का अनुरोध किया गया है। प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2015 तक बढ़ा दी गई है तथा इस अवधि के भीतर नाम दर्ज करवाने वाले व्यक्तियों को प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

वैश्विक स्तर पर मोबाइल बैंकिंग प्रयोक्ताओं का सर्वाधिक युवा वर्ग भारत में

केपीएमजी और यूबीएस द्वारा जारी ग्लोबल मोबाइल बैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में मोबाइल बैंकिंग प्रयोक्ताओं की सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाले वर्ग में भारत प्रथम स्थान पर है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत में मोबाइल बैंकिंग प्रयोक्ताओं की औसत आयु अमेरिका में 32, यूरोप में 39, जापान और चीन में 37 तथा आस्ट्रेलिया में 35 के मुकाबले 30 वर्ष है। अगले चार वर्षों में वैश्विक स्तर पर मोबाइल बैंकिंग प्रयोक्ताओं की संख्या दोगुनी बढ़कर 1.8 बिलियन हो जाने का अनुमान है, जो विश्व की जनसंख्या का 25% है।

विनियामकों के कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक बॉण्डों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की आवधिक आधार पर समीक्षा कर सकता है

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने कहा है कि शीर्ष बैंक ऋण प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) सीमा को एक मध्य अवधि वाले ढांचे में लाने और उसे डालर की बजाय रुपया मूल्य में विनिर्दिष्ट करने हेतु उसका पुनरीक्षण करने के लिए सरकार के साथ बातचीत कर रहा है, ताकि वे विनिमय दर में उतार-□ढ़ावों के साथ परिवर्तित न हों। मध्य अवधि वाले ढांचे में वह लक्ष्य भी शामिल होगा जो इस आशय का संकेत देगा कि बीच वाली अवधि में विदेशी पोर्टफलियो द्वारा सॉवरेन बॉण्ड बाज़ार के किस खंड का गठन किया जाएगा तथा प्रत्येक छ: माह पर इन सीमाओं में हुई वह अलग-अलग वृद्धि भी शामिल होगी जो मासिक या तिमाही आधार पर जारी की जाएंगी। यह □ी□ पेंशन निधियों और सॉवरेन धन निधियों जैसी दीर्घावधिक निधियों सहित विभिन्न प्रकार के निवेशकों के साथ-साथ यूरोक्लियर और क्लियर स्ट्रीम जैसे अंतरराष्ट्रीय केन्द्रीय प्रतिभूति निक्षेपागारों के माध्यम से आने वाली संस्थाओं की सहभागिता के लिए स्थान निर्मित करेगा।

दर में कटौती के प्रेषण के लिए सहज चलनिधि आवश्यक : भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह स्वीकार किया है कि दर में कटौतियों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए चलनिधि की सहज स्थितियां आवश्यक हो सकती हैं। उसने कहा है कि "जून और जुलाई में चलनिधि की स्थितिया बहुत सहज रही हैं। मुद्रा की मांग में मौसमी कमी तथा सरकार द्वारा बढ़े खर्च जमा संग्रहण के परिमाण की तुलना में कम ऋण अभिनियोजन जैसे संरचनात्मक कारकों के साथ मिलकर मुद्रा बाज़ारों में अधिशेष की स्थिति निर्मित करने में योगदान किया है। चलनिधि की सहज स्थितियां ऋण वृद्धि और ऋणदाताओं द्वारा और दर कटौतियों को सुगम बना सकती हैं।" सहज चलनिधि के परिणामस्वरूप चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत निधि आहरण में कमी आई है । जून में इस सुविधा के तहत बैंकों की निवल उधार राशियां एक माह पहले की 1,03,100 करोड़ रुपये की तुलना में 47,700 करोड़ रुपये रहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि निवल चलनिधि निषेचन में आधे से अधिक कमी आई है। जुलाई में बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष निर्मित हो गया, क्योंकि बैंकों ने भारतीय रिज़र्व बैंक के पास 12,000 करोड़ रुपये जमा किए।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्रय-विक्रय प्लेटफार्म हेतु आवेदन

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एस. एस. मूंदड़ा ने कहा है कि शीर्ष बैंक को व्यापारिक प्राप्यराशि भुनाई प्रणाली (TReDS) की स्थापना के लिए सात आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऋण के अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए एक सर्वाधिक कष्टकारी बिन्दु है उनकी प्राप्य राशियों की समय पर वसूली, जो नकदी प्रवाह को एक बड़ा आघात पहुंचाती है। सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह बड़ी कम्पनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा यहां तक कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी करने वाले सरकारी विभागों के लिए भी यह अनिवार्य करने हेतु विधायी

(कानूनी) व्यवस्था करे कि वे अपने आप को व्यापारिक प्राप्यराशि भुनाई प्रणाली के पास पंजीकृत कराएं, ताकि वे उनकी देय राशियों का नियत तिथि को भुगतान करने की निर्धारित परिभाषा के अधीन आ सकें। इस उपाय से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।

बिजली वितरण कम्पनियों की कठिनाइयां दूर करने से बैंकों की अनर्जक आस्तियों के जोखिम कमी आएगी

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने कहा है कि बैंकों की आस्ति गुणवत्ता को संरक्षित रखने के उद्देश्य से वित्तीय रूप से परेशान सरकार द्वारा स्वाधिकृत बिजली वितरण कम्पनियों (discoms) से पैदा होने वाले दबाव को प्राथमिकता के आधार पर दूर करना होगा। धातुओं के सम्बन्ध में वैश्विक अधिक्षमता के बाद विद्युत क्षेत्र बैंकों के लिए दबाव का दूसरा स्रोत बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि "इस क्षेत्र की कठिनाइयों का केन्द्रबिन्दु वितरण कम्पनियां हैं। इन्हें अधिक स्थाई रूपों में दूर कर लिए जाने पर यह उक्त क्षेत्र में मौजूद दबाव के कुछेक स्रोतों में कमी लाई जा सकेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक इस दबाव को दूर करने पर ध्यान केन्द्रित किए हुए है, ताकि बिजली खरीदियां अधिक प्रभावी रीति से जारी रखी जा सकें।"

भारतीय कम्पनियों ने विदेशी मुद्रा ऋणों को प्रतिरक्षित करना बढ़ा दिया है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि भारतीय कम्पनियों ने अपने विदेशी मुद्रा ऋणों को प्रतिरक्षित (hedge) करना बढ़ा दिया है। अतीत में विनियामक ने उन जोखिमों का संकेत किया था जो कम्पनियों के अप्रतिरक्षित (unhedged) एक्सपोजर प्रणाली के समक्ष उपस्थित कर रहे थे। प्रतिरक्षण / बचाव व्यवस्था का प्रतिशत बढ़ गया है। 2014-15 के पूरे वर्ष के लिए प्रतिरक्षण का अनुपात लगभग 39% था और इस वर्ष की 1ली तिमाही में यह बढ़कर करीब 41% हो गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच. आर. खान ने कहा कि पिछले वर्ष की पूरी अवधि के लिए भारित औसत परिपक्वता 6.5 वर्ष थी और इस वित्त वर्ष की 1ली तिमाही के लिए यह 7.5 वर्ष है।

हमने मध्य -अवधि और दीर्घ-अवधि वाली नीतियों का सही संमिश्र अपना रखा है : मूंदड़ा

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एस. एस. मूंदड़ा की मान्यता यह है कि मध्य से लेकर दीघकालिक दृष्टि से भारत सही मार्ग पर है। उनका कहना है कि "बाज़ार बहुत बुद्धिमान और अपने आपको अभिशासित करने में सक्षम हैं। केन्द्रीय बैंकर के लिए इस समय किसी प्रकार की सलाह की आवश्यकता नहीं है। जहां तक रुपये के अंतराक्षेपण (intervention) का सम्बन्ध है, अनुचित अस्थिरता की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि बाज़ार में अनियंत्रणीय और अनुचित अस्थिरता न हो।"

मूलभूत सुविधा परियोजना ऋण पुनर्वित्तीयन पर भारतीय रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच. आर. खान के अनुसार 5/25 वाली योजना के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए बैंकों ने नयी परियोजनाओं की लचीली संरचना का कार्य आरंभ किया या। हालांकि, कुछेक मामलों में बैंकों ने अपने संशोधित ऋण परिशोधन कार्यक्रमों में लम्बी अधिस्थगन अवधियों को शामिल कर लिया था और वे इन ऋणों के निवल वर्तमान मूल्य का परिकलन करने की कार्यप्रणाली के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। 5/25 वाली योजना के तहत बैंकों को मूलभूत सुविधा या मुख्य क्षेत्र में परियोजनाओं को ऋणों के मामले में लम्बी परिशोधन अवधियां यथा- 25 वर्ष निर्धारित करने की अनुमति थी। यह व्यवस्था आवधिक यथा- प्रत्येक 5 वर्ष के पुनर्वित्तीयन वाली परियोजना के आर्थिक जीवनकाल या रियायत अवधि पर आधारित थी। उक्त योजना की घोषणा मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के वित्तीयन में ऋण परिपक्वता असंतुलनों को दूर करने के लिए की गई थी।

अर्थव्यवस्था

मूडीज ने भारत की वृद्धि वाले पूर्वानुमान को घटाकर 7% किया

मूडीज की निवेशक सेवा ने इस वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि वाले पूर्वानुमान को सामान्य से कम बरसात का कारण बताते हुए इसके पूर्व अनुमानित 7.5% से घटाकर 7% कर दिया है। तथापि उसने 2016-17 में 7.5% की वृद्धि के पूर्वानुमान को बनाए रखा है। भारत की वृद्धि से संबंधित संभावना अल्पकालिक मानसूनी प्रभावों से परे लचीली बनी हुई है। उक्त एजेन्सी का कहना है कि "हमारे पूर्वानुमान के प्रति हमारा मुख्य जोखिम यह है कि सुधारों की गति महत्वपूर्ण रूप से धीमी हो जाती है, क्योंकि सरकार की योजना के सबसे कम विवादास्पद पहलुओं को कार्यान्वित कर दिए जाने पर सुधारों की आवश्यकता के पीछे निहित मतैक्य कमजोर पड़ जाता है।"

मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर (-) 4. 05 के ऐतिहासिक न्यून स्तर पर

जुलाई के लिए थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित मुद्रास्फीति घटकर (-) 4.05% - सीधे नौवें माह के संकुचन -पर आ गई -इस प्रकार अर्थव्यवस्था में अपस्फीतिकारी प्रवृत्ति की पुष्टि हुई। जून के लिए थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति (-) 2.4 % रही। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति भी जुलाई में 3.78% के रिकार्ड न्यून स्तर पर आ गई। इससे अर्थव्यवस्था की स्थिरता का प्रचुर प्रमाण मिलता है। अद्यतन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और बैंक जमाराशियां तथा सोने के आयात जैसे अन्य आंकड़ों से मुद्रास्फीति की अन्तर्निहित प्रक्रिया में बड़े एवं उत्साहवर्धक ढांचागत बदलाव का संकेत प्राप्त होता है।

बीमा

इर्डाई ने विदेशी भागीदारों की किसी भी दखलंदाज़ी से इनकार किया

भारत में बीमा कम्पनियों में विदेशी भागीदारों को रणनीति और उत्पादों से सम्बन्धित निर्णयों में अंतिम अभिकथन का अधिकार नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) उनके हितों / जोखिमों के 26% से बढ़कर 49% हो जाने पर उन्हें कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं प्रदान करेगा। बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम में कहा गया है कि सभी बीमाकर्ताओं को भारतीय प्रबन्धन एवं नियंत्रण की व्यवस्था करनी होगी तथा विदेशी प्रवर्तकों को मुख्य कार्यपालक अधिकारियों और बोर्ड के पदं पर नियुक्ति अथवा यहां तक कि रणनीति एवं उत्पादों से सम्बन्धित निर्णयों के बारे में कोई अपवर्जिता (छूट) नहीं प्रदान की जाएगी। हालांकि, विदेशी बीमाकर्ताओं के उनके हितों / जोखिमों को बढ़ाने हेतु अनुमोदन मांगने पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विशिष्ट करारों की विस्तार से समीक्षा कर सकता है।

बैंकों के लिए एकाधिक बीमाकर्ताओं के साथ गठजोड़ व्यवस्था ऐच्छिक होगी

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सदस्य, जीवन बीमा, श्री नीलेश साठे ने कहा है कि बीमा उत्पादों के वितरण हेतु विनयामक कारपोरेट एजेन्टों (बैंकों सहित) को जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य प्रत्येक श्रेणी के तीन बीमाकर्ताओं तक के साथ गठजोड़ व्यवस्था करने की अनुमति देगा, किन्तु इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा। कारपोरेट एजेन्टों को नौ बीमाकर्ताओं के साथ गठजोड़ व्यवस्था करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। इसप्रकार बैंक मौजूदा बैंकबीमा व्यवस्था या अधिक बीमाकर्ताओं के साथ गठजोड़ व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय ले सकते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण पॉलिसी की बहाली के बाद आत्महत्या से जुड़े दावों के लिए बीमित रकम का भुगतान न किए जाने सहित अन्य दिशानिर्देशों का भी पुनरीक्षण कर रहा है। इसके भी अतिरिक्त, विनियामक यह सुनिश्चित करने के लिए मानदंडों की जांच कर रहा है कि क्या एजेन्टों द्वारा अपेक्षाकृत आसान उत्पाद किसी बड़ी जांच के बिना बेचे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए वार्षिकी या असम्बद्ध उत्पादों जैसे जटिल उत्पादों के मामले में उन्हें दो-तीन दिन का प्रशिक्षण और उसके बाद परीक्षा वाला बनाया जा सकता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को 35 करोड़ रुपये की हानि वहन करनी पड़ी है, क्योंकि उसके द्वारा अलग-अलग एजेन्टों से वसूल किया जाने वाला लाइसेंसीकरण शुल्क बंद कर दिया गया है।

नयी नियुक्तियां

नाम	**पदनाम / संगठन**
सुश्री उषा अनंतसुब्रमणियन	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक
श्री एम.ए. रेगो	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया
श्री जी. पद्मनाभन	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, बैंक ऑफ इंडिया.

श्री राकेश शर्मा	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, केनरा बैंक
श्री टी.एन. मनोहरन	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, केनरा बैंक
श्री जी. नारायणन	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, विजया बैंक
श्री टी.सी.वी. सुब्रमणियन	गैर -कार्यपालक निदेशक, इंडियन बैंक
श्री किशोर खरात पिराजी	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
श्री पी.एस. जयकुमार	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा
श्री रवि वेकटेसन	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, बैंक ऑफ बड़ौदा ,
श्री के. वेंकट राम मूर्ति	कार्यपालक निदेशक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

विदेशी मुद्रा

सितम्बर, 2015 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)जमाराशियों के लिए लिबोर / अदला-बबदली

	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.55100	0.87400	1.18100	1.42300	1.62200
जीबीपी	0.71100	1.0550	1.2720	1.4620	1.6190
यूरो	0.05200	0.095	0.198	0.298	0.427
जापानी येन	0.14130	0.140	0.155	0.191	0.243
कनाडाई डालर	0.77000	0.711	0.829	0.964	1.119
आस्ट्रेलियाई डालर	1.96800	1.970	2.060	2.310	2.460
स्विस फ्रैंक	-0.65000	-0.638	-0.562	-0.455	-0.327
डैनिश क्रोन	0.25400	0.3590	0.4680	0.6170	0.7670
न्यूजीलैंड डालर	2.75000	2.790	2. 880	2.990	3.110
स्वीडिश क्रोन	-0.30900	-0.190	0.008	0.250	0.510
सिंगापुर डालर	1.70000	1.950	2.180	2.410	2.560
हांगकांग डालर	0.74000	1.060	1.330	1.510	1.680
म्यामार	3.99000	4.050	4.130	4.180	4.250

स्रोत : www.fedat.0rg.in

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**21 अगस्त 2015 के दिन**	**21 अगस्त 2015 के दिन**
	बिलियन् रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	23, 268, 5	355, 353.9
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	21, 746.7	331, 731.1
ख) सोना	1, 168, 1	18, 250. 1
ग) विशेष आहरण अधिकार	268, 3	4, 075.0
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	85.4	1, 297.7

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
भारतीय स्टेट बैंक	ऐक्सेंचर एवं मास्टरकार्ड	प्रयोक्ताओं को पंजीकृत एवं नये प्रयोक्ताओं को धनराशि भेजने , प्राप्य राशियों का निपटान करने हेतु अनुस्मारक भेजने, अतिरिक्त नकदी को उनकी पसंद वाले खातों में रिचार्ज रहित अंतरित करने और बिलों का तत्काल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करने हेतु।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	वीसा	नये कार्डों, व्यावसायिक डेबिट कार्ड, अप्रतिभूत क्रेडिट कार्ड तथा हस्ताक्षर क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करने हेतु।
कारपोरेशन बैंक	एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स(नेएमएल), एलटीसी कॉमर्सियल कम्पनी लि. नवज्योति कमोडिटी मैनेजमेंट सर्विसेज एणदड काल्यैक्स वेयरहाउसिंग प्रा.लि.	इलेक्ट्रॉनिक विधि से गिरवी वित्त प्रदान करने हेतु।
ऐक्सिस बैंक	इमीरेट्स एनबीडी	संयुक्त अरब अमीरात से धनराशि को सीधे ही भारत में पंजीकृत मोबाइल संख्याओं में अतरण सुगम बनाने हेतु।

शब्दावली

विदेशी पोर्टफोलिय निवेश (FPI)

विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी गई प्रतिभूतिया और अन्य वित्तीय आस्तियां। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश निवेशक को वित्तीय आस्तियों का प्रत्यक्ष स्वामित्व नहीं प्रदान करता और इसप्रकार किसी कम्पनी का प्रत्यक्ष प्रबन्धन भी नहीं। इस प्रकार का निवेश उसका जिस बाज़ार में निवेश किया गया है उसकी अस्थिरता के आधार पर तुलनात्मक रूप से अनिरुद्ध (liquid) होता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

परिचालन जोखिम

बासेल II का संशोधित ढांचा परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत प्रभार का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित तीन दृष्टिकोण प्रदान करता है:

1) मूल संकेतक दृष्टिकोण (BIA) : यह दृष्टिकोण परिचालन जोखिम हेतु प्रभार किसी एकल संकेतक के निश्चित प्रतिशत ("ऐल्फा काम आता है।

2. मानकीकृत दृष्टिकोण (SA) : इस दृष्टिकोण में यह आवश्यक होता है कि संस्था अपने परिचालनों को आठ मानक व्यवसाय क्षेत्रों में पृथक्कीकृत करे तथा प्रत्येक व्यवसाय क्षेत्र के लिए पूंजीगत प्रभार की गणना उस व्यवसाय क्षेत्र की सकल आय में उस व्यवसाय क्षेत्र को आबंटित एक कारक (निर्देशित बिटा) द्वारा गुणा करके की जाती है।

3) उन्नत मापन दृष्टिकोण (AMA) : इस दृष्टिकोण में विनियामक पूंजी आवश्यकता बैंक की परिचालन जोखिम मापन प्रणाली द्वारा सृजित जोखिम माप के बराबर होगी। भारत में बैंकों को परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत प्रभार का अनुमान लगाने के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी गई है तथा परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत प्रभार की गणना करने के लिए पिछले तीन वर्षों की औसत सकल आय का 15% लिया जाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

सितम्बर, 2015 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

सं.	कार्यक्रम	दिनांक	स्थल
1	प्रमाणित बैंक प्रशिक्षक पाठ्यक्रम के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	1 से 5 सितम्बर, 2015	मुंबई

2	अभ्युदय सहकारी बैंक के अधिकारियों का ऋण मूल्यांकन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण	3 से 4 सितम्बर, 2015	नवी मुंबई
3	यूनाइटेड फाइनैंस, ढाका, बांग्लादेश के अधिकारियों का आवास वित्त के सम्बन्ध में प्रशिक्षण	7 से 9 सितम्बर, 2015	मुंबई

संस्थान समाचार

वार्षिक साधारण सभा

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस के सदस्यों की 88वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन सोमवार, 24 अगस्त 2015 को सायं 4.00 बजे आईआईबीएफ सभागृह, मेकर टावर, कफ परेड, मुंबई 400 005 में किया गया।

आईआईबीएफ द्वारा सोशल मीडिया में प्रवेश

संस्थान ने अपने सदस्यों और अन्यों तक अपनी पहुंच बढ़ाने हेतु यूट्यूब और फेसबुक नामक सोशल मीडिया पृष्ठों की शुरुआत की है। यह कदम बैंकिंग एवं फाइनैंस में संस्थान के पाठ्यक्रमों को प्रासंगिक एवं अध्यतन बनाने के लिए उनसे सूचनाएं . प्रति-सूचना प्राप्त करने में उसकी सहायता करेगा।

भारतीय बैंकों में जोखिम प्रबन्धन एवं अनुपालन पर 4 सितम्बर, 2015 को संगोष्ठी

वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में जोखिम प्रबन्धन एवं अनुपालन के रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस ने शुक्रवार, 4 सितम्बर, 2015 को लीडरशिप सेंटर, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस में "भारतीय बैंकों में जोखिम प्रबन्धन एवं अनुपालन" पर एक संगोष्टी का आयोजन किया था। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

एपीएबीआई सम्मेलन 2015

बैंकिंग संस्थानों का एशिया प्रशांत संघ (APABI) एशिया प्रशांत क्षेत्र में बैंकिंग संस्थाओं का एक अर्ध औपचारिक ढांचा है। इसकी स्थापना 1986 में 11 संस्थापक सदस्यों द्वारा की गई थी। वित्तीय उद्योग के उन प्रशिक्षण संस्थानों को एक साथ लाने मे इस संघ ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है □ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को उन रूपांतरणकारी गतिविधियों से निपटने की क्षमता से

सुसज्जित करन के एक साझे ध्येय में शामिल हैं, □ वित्तीय क्षेत्र को उसकी सर्वाधिक मूल्यवान आस्ति, मानवीय पूंजी के निरंतर नवीकरण को समर्थन दे कर उसे नया रूप दे रही हैं। वर्तमान मे बैंकिंग संस्थानों के एशिया प्रशांत संघ (APABI) में 18 सदस्य संस्थान शामिल हैं। बैंकिंग संस्थानों के एशिया प्रशांत संघ (APABI) के सदस्य किसी एक सदस्य देश में सम्मेलन के साथ दो वर्ष में एक बार मिलते हैं।

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस (IIBF) वर्ष 2915 हेतु बैंकिंग संस्थानों के एशिया प्रशांत संघ (APABI) के लिए मेज़बान संस्थान होगा। संस्थान 23 सिततम्बर, 2015 को होटल ओबेराय, डॉ. ज़ाकिर हुसैन मार्ग, नई दिल्ली मे आयोजित होने वाले बैंकिंग संस्थानों के एशिया प्रशांत संघ (APABI) के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। उक्त सम्मेलन की मुख्य विषय-वस्तु है "बैंकिंग में नयी रूपावली"। सम्मेलन के दिन ही 32वें पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्यख्यान का भी आयोजन किया जाएगा, जिसका विषय होगा "वित्तीय सेवाओं का भविष्य : वित्तीय सेवाएं जिस विधि से संरचित की जा रही हैं, मुहैया कराई जा रही हैं और उपयोग में लाई □ रही हैं उन्हें विधटनकारी नवोन्मेष किस प्रकार नया रूप दे रहे हैं।" अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

कारबार संपर्कियों / कारबार सुसाधकों (प्रधान मंत्री जन-धन योजना) के लिए प्रमाणपत्र परीक्षा

संस्थान ने प्रधान मंत्री जन-धन योजना के तहत कारबार संपर्कियों / कारबार सुसाधकों के लिए एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम है "इनक्लूसिव बैंकिंग थ्रू बिजिनेस करेस्पॉडेंट - ए टूल फॉर पीएमजेडीवाई" उक्त पुस्तक पांच भाषाओं - (अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, तमिल और गुजराती) में प्रकाशित की गई है तथा वह कुछ समय में तेलुगू, उड़िया असमी, कन्नड़, मलयालम, बंगाली में भी उपलब्ध कराई जाएगी। आगामी परीक्षा 3 सितम्बर, 2,015 को आयोजित होने वाली है। (अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।)

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों / महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्दिष्ट तिथि

प्रश्नपत्र में समावेश के लिए संस्थान द्वारा किसी कैलेण्डर वर्ष के मई / जून के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में विनियामक/ कों द्वारा जारी अनुदेश / दिशानिर्देश और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में उस वर्ष के केवल 31 दिसम्बर तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही पर ही विचार किया जाएगा।

प्रश्नपत्र में समावेश के लिए संस्थान द्वारा किसी कैलेण्डर वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में विनियामक/ कों द्वारा जारी अनुदेश / दिशानिर्देश और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में उस वर्ष के केवल 30 जून तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपनी वेब साइट पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 /1998 के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / उत्तर-पूर्व -295/ 2013 -15 * प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित * प्रेषण तिथि प्रत्येक माह की 25 से 30 तक * मुंबई पत्रिका चैनल छटाई कार्यालय मुंबई -1 में प्रेषित * डब्ल्यूपीपी लाइसेंस सं. एमआर /टेक /डब्ल्यूपीपी -62/ एनई/2013- 16 * चुकौती के बिना प्रेषण का लाइसेंस

विजन डाक्यूमेंट की हार्ड प्रतियों का प्रेषण

संस्थान जिन्होंने उसके पास अपने अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत करा रखे थे उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा मासिक आईआईबीएफ विजन अग्रेषित करता है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उसे संस्थान के पास 30 सितम्बर, 2015 को या उससे पहले पंजीकृत करवा लें। **संस्थान अक्तूबर, 2015 से सभी सदस्यों को आईआईबीएफ विजन की हार्ड प्रतियां भेजना बंद कर देगा।** सदस्यों से इस बात को ध्यान में रखने का अनुरोध है कि भविष्य में आईआईबीएफ विजन की केवल सॉफ्ट प्रतियां ही ई-मेल के जरिये भेजी जाएंगी।

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

8.00
7.50
7.00

6.50
6.00
5.50
5.00

01/08/15 03/08/15 07/08/15 08/08/15 10/08/15 17/08/15 22/08/15 24/08/15 25/08/15 28/08/15

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, अगर्स्त, 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

110.00
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00

03/07/15 07/07/15 11/07/15 13/07/15 17/07/15 20/07/15 21/07/15 25/07/15 28/07/15 31/07/15

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

28500
28000
27500
27000
26500

26000
25500

03/08/15 06/08/15 10/08/15 12/08/15 14/08/15 19/08/15 24/08/15 31/98/15

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (BSE)

डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल-II,, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. जे. एन. मिश्र

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न सितम्बर, 2015